

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या- 132

राँची, दिनांक- 12/01/21

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के
अध्यक्ष एवं सदस्य (तकनीकी) के पदों पर नियुक्ति।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-1665 दिनांक-10.03.2017 के द्वारा झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार स्थापित है।

2. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनों के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के ऊपरी सतह पर (सतही) जल के स्तर को (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of surface water) ऊपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है।

3. उपर्युक्त क्रम में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य (तकनीकी) के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अर्हता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र०सं०	पद का नाम	संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अन्य अर्हतायें
1.	अध्यक्ष	01	स्नातक	(i) न्यूनतम 25 वर्षों के प्रशासनिक/ तकनीकी सेवा का अनुभव। (ii) राज्य सरकार में सचिव/अभियंता प्रमुख स्तर का पदधारण किया गया हो। (iii) शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल संचयन एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।
2.	सदस्य (तकनीकी)	01	बी०टेक/बी०ई० (सिविल, यांत्रिक, जल विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र)	(i) विशेषज्ञ जिन्होंने जल संरक्षण तथा पेय जलापूर्ति एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य किया हो। (ii) शुद्ध पेयजल की आपूर्ति/जल संचयन/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो, तथा (iii) मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा दे चुका हो।

4. इनकी सेवा अवधि 03 वर्षों के लिए होगी एवं इनकी अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्षों की होगी।
5. प्राधिकार का अध्यक्ष या सदस्य (तकनीकी) अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

6. प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य (तकनीकी) के वेतन एवं भत्ते :-

- (i) प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का मानदेय (पारिश्रमिक) एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- (ii) यदि सरकार के वर्तमान पदाधिकारी को प्राधिकार के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जबतक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत्त न हो जायें।
- (iii) अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर मानदेय (पारिश्रमिक) भुगतये होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होंगी।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएं आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत् प्राप्त होंगी।

- (iv) वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हो और वे प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेय (पारिश्रमिक), भत्ते और सुविधाएं वही होंगी, जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है।

7. किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य (तकनीकी) के रूप में चयन हेतु विचार किये जाने हेतु उनके द्वारा निम्नांकित के संबंध में सूचित किया जायेगा :-


- (i) कोई पद, नियोजन या परामर्श कार्य समझौता या व्यवस्था जो उसके अपने या संबंधी के नाम से है अथवा कोई फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय का मालिक है या उनके द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो, जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल है :-
 - (i) सतही जल का दिशा परिवर्तन, पानी का वितरण, भू-जल का निकाय या जलापूर्ति संबंधी किसी व्यापार को व्यवसायिक सेवायें प्रदान करता है,
 - (ii) जल उद्योग से संबंधित निर्माण, बिक्री, पट्टा किराया अथवा उससे संबंधित मशीनरी की आपूर्ति या सौदा संबंधी किसी व्यापार को व्यवसायिक सेवायें प्रदान करता है।

8. यदि कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जायेगा यदि वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी भी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद पर हो या लाभप्रद रूप में नियोजित है अथवा किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्य सेवा में लाभ के पद पर है तो वह प्राधिकार में योगदान देने से पूर्व अपना इस्तीफा सौपेगा या उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगा।

9. आवेदन पत्र निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक-10.02.2021 अप० 5:00 बजे तक निम्नांकित पता पर स्वलिखित अथवा टंकित रूप में वांछित सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में समर्पित किया जाना है :-

आवेदन प्राप्ति का पता :- श्री चन्दन कुमार, उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
कमरा संख्या-414, चतुर्थ तल,
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची, झारखण्ड।

10. इससे संबंधित विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट www.udhd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है, जहाँ उपर्युक्त क्रम में समस्त विवरणी दृष्टव्य है।


(चन्दन कुमार)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-05/न0वि0/जला0/पेयजल नियामक प्राधिकार/04/2016...132

राँची, दिनांक-1.2.21/21

प्रतिलिपि:- श्री कुणाल कुमार, आई0टी0 विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, राँची को विज्ञप्ति उपलब्ध कराने एवं विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में वांछित कार्रवाई की जाय।



सरकार के उप सचिव।

